संख्या-20/2019/328/12-5-2019-ब०-01/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 26 मार्च, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०लेखा/305-डी/पुनर्विनियोग/2018-19, दिनांक 20.02.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू० 6.69 लाख (रू० छः लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियामों के अधीन किया जायेगा।

4- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा।

5- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2019/328(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
मंजू लता सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–09 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम –11 **कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)** वित्तीय वर्ष 2018–19

प्रपत्र बी0एम0–09

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2 4 0 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0					
2402–मृदा तथा जल संरक्षण					
101–मृदा संरक्षण तथा परीक्षण					
03–मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यकम					
01–वेतन	20341.52	6.69	6.69	6.69	20334.83
योग	**20341.52**	**6.69**	**6.69**	**6.69**	20334.83

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0					
2402–मृदा तथा जल संरक्षण					
001–निदेशन तथा प्रशासन					
03–अधिष्ठान व्यय					
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	40.60	47.29	6.69	6.69	47.29
योग	**40.50**	**47.29**	**6.69**	**6.69**	47.29

(रू0 छः लाख उन्हत्तर हजार मात्र)

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:–
अ–वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–
ब–सातवें वेतन आयोग के एरियर की 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0–584/ई–1–दस–2019, दिनांकः 12.3.2019

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

11.3.19
(नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–328/12–5–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
2– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
6– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।